आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 86/2020 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

1. मैसर्स विनायक मनु ट्रेडर्स प्रा॰ लि॰ द्वारा डायरेक्टर सी॰ पी॰ बन्सल पता 31–ए, इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा जयपुर ।

प्रार्थी ऋणी

बनाम

2. भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्रान्च मैनेजर ब्रान्च इण्डस्ट्रीयल एरिया, झोटवाडा, जयपुर ।

अप्रार्थी बैंक

रिव्यू प्रार्थना पत्र बाबत संख्या 537/2019 किस्म धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002) ब उनवानी भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स विनायक मनु ट्रेडर्स प्रा॰ लि॰ में पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 को रिव्यू करने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमन कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश

दिनांक 14.12.2020

1. संक्षेप में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 20.08.2019 को जारी धारा 13 (2) के नोटिस में कार नम्बर आरजे 14 सीएक्स 0558 एण्ड आरजे 14 जीजी 1309 का कोई उल्लेख नहीं है । इसके बावजूद धारा 14 में दोनों कारों को भी सम्मलित करते हुये आदेश पारित करवा लिया । इसलिए बैंक द्वारा दिया गया 13(2) का नोटिस अवैद्य है। आर बी आई नोर्म्स के अनुसार 90 दिवस का ओवर ड्यू होने के पश्चात ही एन पी घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस मामले में प्रार्थी का दिनांक 18.07.2019 तक नियमित खाता होने के बावजूद दिनांक 18.09.2019 को तीस दिवस में ही खाता एन पी ए घोषित कर दिया। उपरोक्त फैक्टस एण्ड ग्राउण्ड्स के आधार पर अप्रार्थी बैंक ने तथ्यों को छिपाते हुये माननीय न्यायालय से दिनांक 28.01.2020 को आदेश प्राप्त कर लिया है, उसे निस्स्त किये जाने का अनुरोध किया है ।
2. पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बैंक से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी बैंक की ओर से श्री रमन कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत कर कथन किया कि 13 (2) के नोटिस में कार नम्बर आरजे 14 सीएक्स 0558 एण्ड आरजे 14 जीजी 1309 का कोई उल्लेख नहीं है । इसके बावजूद धारा 14 में दोनों कारों को भी सम्मलित करते हुये आदेश पारित करवा लिया । इसलिए बैंक द्वारा दिया गया 13(2) का नोटिस अवैद्य है। आर बी आई नोर्म्स के अनुसार 90 दिवस का ओवर ड्यू होने के पश्चात ही एन पी घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस मामले में प्रार्थी का दिनांक 18.07.2019 तक नियमित खाता होने के

जिस्ट्रेट
र) जयपुर

बावजूद दिनांक 18.09.2019 को तीस दिवस में ही खाता एन पी ए घोषित कर दिया । अतः दिनांक 28.01.2020 को जारी किया गया आदेश अपास्त करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि ऋण खाता एन पी ए हो जाने से बैंक द्वारा ऋणियों को दिनांक 20.08.2019 को विधिवत 13 (2) का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की निर्धारित समयावधि 60 दिवस में बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने से बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने बाबत धारा 14 के तहत दिनांक 16.12.2019 को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2020 को आदेश पारित किये गये है जो विधि सम्मत है। प्रार्थी द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो आधार बता कर पारित आदेश को निरस्त कराना चाहा है, उन पर मान्य न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है, उनके लिए प्रार्थी माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण में अपील कर सकता है। अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. बैक द्वारा ऋण खाता एन पी ए हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण को दिनांक 20.08.2019 को धारा 13 (2) का नोटिस दिया गया है। धारा 13 (2) के नोटिस की तामील होने के बाद 60 दिवस में भी ऋणियों द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी बैंक ने दिनांक 16.12.2019 को धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 13 (2) के तहत जारी नोटिस के तथ्यों के सम्बन्ध में उठाये गये बिन्दुओं को रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय किये जाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण को है। धारा 14 के तहत पारित आदेश के विरूद्ध धारा 17 में माननीय ऋण वसूली प्राधिकरण के समक्ष अपील पेश किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अप्रार्थी बैंक अधिववता के तर्को से हम सहमत है। इसलिए उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सरफेशी एक्ट में रिव्यू का कोई विधिक प्रावधान नही है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन–रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर